राजस्थान सरकार
कार्मिक (ख–3/सुरक्षा) विभाग

क्रमांक प. 4 (18) का/ख–3/सुरक्षा/05 जयपुर, दिनांक: 6 JAN 2012

:: परिपत्र ::

विषय :– सचिवालय परिसर में वाहनों के आवागमन एवं पार्किंग व्यवस्था।

शासन सचिवालय परिसर में वाहनों के आवागमन एवं पार्किंग व्यवस्था के संबंध में इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 11 जनवरी , 2007 जारी किया गया था। उक्त परिपत्र द्वारा निर्धारित व्यवस्थाओं के बिन्दु संख्या 1.6 में निम्न प्रकार आंशिक संशोधन किया जाता है :–

सचिवालय में कार्यवश आने वाले राजस्थान के माननीय सांसदगण, विधायकगण के चार पहिया वाहनों का प्रवेश उत्तर–पश्चिम पार्किंग स्थल पर सहदेव मार्ग स्थित प्रवेश द्वार के अतिरिक्त मुख्य पूर्वी द्वार से भी हो सकेगा एवं मुख्य पूर्वी द्वार से प्रवेश करने वाले चार पहिया वाहन मुख्य पोर्च स्थित भूमिगत चार पहिया वाहन पार्किंग में पार्क किए जा सकेंगे।

उपरोक्त व्यवस्था तुरन्त प्रभाव से प्रभावी होगी।

23.12.11
प्रमुख शासन सचिव,
कार्मिक विभाग

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–
1. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय , राजस्थान , जयपुर।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव , राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
4. पुलिस महा. निरीक्षक, मुख्यमंत्री सुरक्षा एवं बिजीलेन्स।
5. उप निदेशक, सांख्यिकी , मुख्यमंत्री कार्यालय।
6. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव